

24/9/19

श्रीमती विद्या देवी देवी देवी देवी के पत्रांक नं० 1/2019/626 में अर्जा है जो में पत्रांक नं० 1/2019/626 में अर्जा है।
 जेंतारण के पत्रांक नं० 1/2019/626 में अर्जा है।
 पत्रावली नं० 1/2019/626 में अर्जा है। दि० 11/11/19 को पेश हवे।

सहायक क्लर्क
 (फास्ट ट्रक) जेंतारण

11/11/2019

वकुलाप उपर सर. चेंरी उपर
 पत्रावली नं० 18-11-19 के पेश हवे।
 दिनांक 18-11-19 के पेश हवे।

18/11/19

वकुलाप उपर सर. चेंरी उपर
 पत्रावली नं० 9-12-19 के पेश हवे।
 दिनांक 9-12-19 के पेश हवे।

9/1/20

वकुलाप उपर सर. चेंरी उपर
 पत्रावली नं० 24/2/20 के पेश हवे।
 दिनांक 24/2/20 के पेश हवे।

24/2/20

वकुलाप उपर सर. चेंरी उपर
 पत्रावली नं० 27/2/20 के पेश हवे।
 दिनांक 27/2/20 के पेश हवे।

27/2/20

पत्रावली नं० 1/2019/626 में अर्जा है। हमने पत्रावली का अंश लोकर किया।
 पापी के वाइपन के अंश लोकर के स्पष्ट है कि वापी डाटा
 ग्रुप-देवदिना सह. जेंतारण के खलरा सं. 385 में
 रकबा 1-16 बीघा काराजी के बंटवाडे का अनुलोष
 चाहा है एतेनु जमानेरी सम्वत 2020-23 ग्रुप देवदिना
 जो कि वाइपन के साब्र वापी डाटा एतनु की है के
 अंश लोकर के स्पष्ट है कि वापी उमर काराजी का एकमात्र
 खातेदार है तथा धारा-53 RT act के लिए अविभाजित
 सख्तखातेदार की काराजी होना मूलभूत शर्त है। जिसकी
 अनुपालना वाड, वापी नही कर रहा है लिहाजा वापी
 का वाड बाबर बंटवाडा चलने प्रोग्राम/विचारण प्रोग्राम
 नही है। यदि उमर काराजी की तस्मीम नही हुई है

जो कि धारा-53 के तहत पोषण नली होकर
भू-राजस्व कृषि की संगत धाराओं के अन्तर्गत
सम्बन्धित सहाय प्रक्रियाएँ से अनुसंधान प्राप्त
किया जा सकता है कि: वाड वाई पोषण/विवरण
योग्य नली होने से इसी तरह पर जाएँ
किया जाता है। पगावली इसी कदम से
सब कम होकर डाडिले फल है।

AC(FT)

